

सचिव
कृ० आ० का० हेतु

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग-2

ई-फाईल संख्या-20120
देहरादून, दिनांक: 23 मार्च, 2023



31/03/2023

वसु

उपाध्यक्ष

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) में विद्युत चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के संबंध में प्राविधान किए जाने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में सम्मिलित करते हुए निम्नानुसार संशोधित उपविधि प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 (समय-समय पर यथासंशोधित) (जिसे यहां आगे उक्त उपविधि कहा गया है) के अध्याय-5 के बिन्दु सं0-5.6(III) एवं (V) पार्किंग मानक में निम्नलिखित प्राविधान अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात् :-

(V) एकल आवासीय भवनों को छोड़ते हुए, समस्त विद्यमान गैर आवासीय (यथा ग्रुप हाउसिंग, प्लाटेड, होटल, मोटल, मल्टीप्लेक्स, गेस्ट हाउस, लॉजेज तथा अन्य गैर आवासीय भवन इत्यादि) भवनों में (1500 वर्गमी0 से अधिक भूखण्ड क्षेत्रफल में) कुल स्वीकृत पार्किंग ECS Bay में से 03 प्रतिशत ECS Bay पर अथवा 1 ECS Bay जो भी अधिक हो, में 2 wheeler तथा 2 प्रतिशत अथवा 1 ECS Bay जो भी अधिक हो, में 4-Wheeler Electric Vehicle Charging Infrastructure की व्यवस्था सार्वजनिक सूचना से 06 माह के भीतर किया जाना आवश्यक होगा।

नोट :-

(क) ECS का तात्पर्य Equivalent Car Space.

(ख) 1 ECS Bay का तात्पर्य एक कार हेतु अपेक्षित क्षेत्रफल जो NBC-2016 अनुसार 2.75 मी0 X 5.00 मी0 है।

(ग) 1 ECS Bay में दो 2- wheeler का प्राविधान किया जा सकेगा।

2- उक्त उपविधि के अध्याय-5 के बिन्दु सं0-5.6(III) में प्रस्तर (V) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :-

(vi) विद्यमान आवासीय भवनों में इसका प्राविधान किया जाना श्रेयस्कर होगा

/2023

तथा ग्रुप हाउसिंग के प्रकरणों में Resident Welfare Association (RWA) द्वारा परियोजना की मांग अनुसार प्राविधान किया जा सकेगा।

(vii) प्रस्तावित समस्त प्रकार के नवनिर्माण, जो 1500 वर्गमी० से अधिक भूखण्ड क्षेत्रफल में प्रस्तावित हो, में (एकल आवासीय को छोड़कर) स्वीकृत पार्किंग ECS के न्यूनतम 10 प्रतिशत ECS (Municipal Corporations Towns में) एवं 05 प्रतिशत ECS (Other Towns में) अथवा 1 ECS जो भी अधिक हो, पर Electric Vehicle Charging Infrastructure सुविधा की व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी। कुल Electric Vehicle Charging Bay में 60:40 के अनुपात में 2-wheeler तथा 4-wheeler की चार्जिंग सुविधा की व्यवस्था की जायेगी।

उदाहरणार्थ – 20 ECS स्वीकृत पार्किंग बे का 10 प्रतिशत, जो 02 ECS है, का 60:40 के अनुपात में आगणन किया जाता है तो एक ECS Bay में दो 2-wheeler तथा दूसरे ECS Bay में एक 4-wheeler हेतु Electric Vehicle Charging सुविधा की व्यवस्था की जायेगी।

3- उक्त उपविधि के अध्याय-7 के बिन्दु सं०-7.14 में खण्ड (ix) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :

(x) Stand Alone Public Charging Station (PCS) :-

i- पहुँच मार्ग एवं स्थल की अवस्थिति Filling Station हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार होगी।

ii- PCS का भूखण्ड क्षेत्रफल न्यूनतम 100 वर्गमी० होगा, जो टू-व्हीलर Charging Station हेतु संबंधित कम्पनी के मानक अनुसार घटाया जा सकेगा। उक्त क्षेत्रफल में वाहन के सुचारु आवागमन एवं मुख्य मार्ग पर प्रवेश/निकास बिन्दु (Entry/Exit Points) तथा मार्ग के किनारे प्रतीक्षा पंक्ति (Waiting Que) न हो, का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।

Signed by Rajendra Singh
Patyal

Date: 22-03-2023 18:02:20
(राजेंद्र सिंह पातियाल)

संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 2-स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3-आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाँयू मण्डल, नैनीताल।
- 4-उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून/

/2023

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/उपाध्यक्ष, समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त उपविधि को सम्बन्धित प्राधिकरण अपने बोर्ड से स्वीकृत कराते हुए अंगीकृत करेंगे। यदि किसी प्राधिकरण को स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत उपविधि में किसी प्रकार के संशोधन/परिवर्तन/परिवर्द्धन की आवश्यकता हो तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित प्राधिकरण तद्विषयक संशोधन के प्रस्ताव को औचित्य सहित प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन के साथ शासन को उपलब्ध करायेंगे।

5-संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।

6-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

7-निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित है कि प्रश्नगत उपविधि को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में 100 प्रतियाँ मुद्रित करते हुए शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

8-निजी सचिव, मा० आवास मंत्री, उत्तराखण्ड को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।

9-गार्ड फाईल।